PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः–954 /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक26/06/2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सन–स्यूण्ड सतेराखाल मार्ग निर्माण हेतु 0.958 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **Proposal N0 – FP/UK/Road/197956/2021**

सन्दर्भ : आपका पत्रांक– 2496/12–1(2)/दिनांक 21–06–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सन–स्यूण्ड सतेराखाल अपग्रेडेशन मोटर मार्ग पर ठेकेदार द्वारा वनभूमि की स्वीकृति मिलने से पूर्व ही उक्त रीच पर कटिंग का कार्य कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि द्वारा ठेकेदार पर रेंज केश संख्या– 15/2020–21 दिनांक 08–11–2020 दर्ज किया गया था। तत्पश्चात आपके पत्रांक–434/27–2(शि0) दिनाक 26–11–2020 के द्वारा दिनांक 08–12–2020 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी। दिनांक 08–12–2020 की सुनवाई में ठेकेदार एवं अधोहस्ताक्षरी उपस्थित थे। जिसके उपरान्त आपके द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा माफीनामा दिया गया एवं अर्थदण्ड की धनराशि चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी थी।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

26/06/21

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

AE

Scanned with CamScanner

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 – 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– 2496 / 12-1(2) दिनांक 21/06 /2021::

अधिशासी अभियन्ता
दि० 22-6-21
पत्रांक 942
सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी.एस.वाई.,सि.खं.)
रूद्रप्रयाग

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

विषय :– जनपद–रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सन्–स्यूण्ड सतेराखाल मार्ग निर्माण हेतु 0.958 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/197956/2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.06.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्युमनि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्ग के भाग पर कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य पूर्व में ही प्रारम्भ कर दिया गया था, जिसके फलस्वरुप वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि द्वारा रेंज केश संख्या–15/2020–21 दिनांक 08.11.2020 दर्ज किया गया है। कृपया इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें एवं अपने स्तर से वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

JE (T)
24/06/21
EE

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 2496 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 936 / 2 पी० सि० खण्ड / दि० 24-6-21

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता ... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/06

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वा०
सि० ख०, रूद्रप्रयाग

भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम 2001 की धारा 52 (क) (4) के अन्तर्गत पोकलैंड/जे०सी०बी० के स्वामी को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण किये जाने के आशय का अन्तिम

नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग

वाद संख्या– 15/अगस्त्यमुनि/2020–21

वादी अधिकारी – दरबान सिंह चौहान बनाम– 1. विमल नेगी, ठकेदार ग्राम डांग पो० अगरोडा, जिला पौड़ी

2. संदीप कण्डवाल, ठकेदार ग्राम डांग पो० अगरोडा, जिला पौड़ी

3. अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० रूद्रप्रयाग।

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, रूद्रप्रयाग व विमल नेगी, ठकेदार ग्राम डांग पो० अगरोडा जिला पौड़ी तथा संदीप कण्डवाल, ठकेदार ग्राम डांग पो० अगरोडा, जिला पौड़ी आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09/11/2020 को समय रात्रि 09.15 बजे स्थान स्यूंण वन पंचायत के अन्तर्गत पंचायती वन भूमि मे वाहन चेसिस संख्या– HAR3DX55KO2822075 से कार्यदायी संस्था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रूद्रप्रयाग द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण स्यूंण वन पंचायत मे बिना वन भूमि हस्तांतरण के मोटर मार्ग का कटिंग कार्य तथा इस भूमि पर खड़े वृक्षों को गिराने मे प्रयुक्त पोकलैंड/जे०सी०बी० का उपयोग वन अपराध मे किया गया है। यह वाहन जब्त किये जाने योग्य है। इस संबध मे रेंज केस संख्या– 15/अगस्त्यमुनि/2020–21 मे अगस्त्यमुनि रेंज मे भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम 2001 की धारा 29 व 33 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रतिवादियों को इस कार्यालय की पत्र संख्या– 429/27–2(वि0) दिनांक 21/11/2020 के द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26/11/2020 को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी, किंतु उक्त प्रतिवादियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कोई भी उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी है। अतः उक्त अभियोजन हेतु दिनांक 08/12/2020 की अन्तिम तिथि निर्धारित की जाती है यदि नियत तिथि को आप द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी के न्यायालय मे उपस्थित दर्ज कराने मे विफल होते है तो यह समझा जाएगा कि आपको उक्त के संबंध मे कुछ नहीं कहना है और उपरोक्त वाद नियमानुसार निस्तारित कर दिया जाएगा।

यह अन्तिम नोटिस आज दिनांक 26/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 434 /27–2(वि0) दिनांक 26/ 11 /2020।

Scanned with CamScanner

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2
प्रपत्र संख्या –43ए (1)
(प्रस्तर 414 एवं 478 देखिए

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उप कोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा — भारतीय स्टेट बैंक, रूद्रप्रयाग

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
2. पता — प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) — रेंज केश संख्या 15/अगस्तमुनि/2020–21से प्राप्त धनराशि
5. चालान की सकल (Gross) राशि — रू0 40,000.00
6. चालान की निवल (Net) राशि — रू0 40,000.00
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/ लेखाशीर्षक की मोहर — जुर्माना एवं जब्ती
8. लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 4 0 6	0 1	8 0 0	0 2	0 0	40,000.00
			X X	X X	X
			X X	X X	X
धनराशि शब्दों में –रू0 चालीस हजार मात्र		योग	X X	X X	40,000.00

वन क्षेत्राधिकारी

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि हेतु प्राप्त विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
Vimal Singh Negi

Scanned with CamScanner